राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मनमोहन बनाम रामपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1186/2025	
18/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	रेस्पो. संख्या 1 की ओर से दिनांक 10/09/2025 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर निर्णय किये जाने को शामिल मिसल किया गया	अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया	अधिवक्ता रेस्पो. की बहस प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद अधिनियम एवं अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 04/07/2023 पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद के तहत यह अपील प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम पर सुनी गयी	 अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	बहस के माध्यम से उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/07/2023 को प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत कर अप्रार्थी/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 19/07/2023 नियत की गयी एवं दिनांक 19/07/2023 को अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को वास्ते बहस नियत कर दिया गया परन्तु दिनांक 19/07/2023 के पश्चात करीबन 25 तारीख पेशीयां नियत करते हुए बहस समायत कर युक्तियुक्त आदेश पारित करने के बजाय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एकपक्षीय अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को निरन्तर कायम रखा गया है, जो विधिक प्रक्रियाओ के अनुरूप एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है जबकी व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसरण में 30 दिवस में 30 दिवस में युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मनमोहन बनाम राधेश्याम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के लिये आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रथमदृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04/07/2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त आदेश पुनः पारित करें। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।	
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	